

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2021

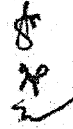
जयपुर, दिनांक 2) दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(2)पंचा/रानिआ/2021/6454 दिनांक 16.12.2021 द्वारा घोषित संलग्न सूची के अनुसार राज्य के 24 जिलों (अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर) में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच एवं वार्ड पंच के उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा माह दिसम्बर 2021 (मतदान दिनांक 23.12.2021) को की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त उप चुनाव दिनांक 23.12.2021 (गुरुवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

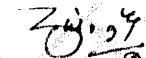
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/ 6598

दिनांक: 21.12.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार) 12.12.21
उप सचिव